क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**आपत्ति रिपोर्ट निरीक्षण विवरण सहित (क्रमानुसार)**	1-5
2	परिशिष्ट A1 – NGT दिल्ली, DM कांगड़ा, MOEFCC चंडीगढ़, SDM इंदौरा को भेजा गया निष्पक्ष जांच हेतु पत्र	6
3	परिशिष्ट A2 – प्रस्तुत किया गया मेरा व्यक्तिगत बयान, जिसे संयुक्त समिति (Joint Committee) द्वारा लेने से इंकार किया गया	8
4	Annexure A3 – वह (Statement) जो SDM इंदौरा के निर्देश पर उनके साथ आए अधिकारी श्री सोमराज द्वारा लिखा गया था, जिस पर संयुक्त समिति द्वारा मुझसे हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया गया, परंतु मैंने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।	10
5	Annexure A4 – ग्राम पंचायत घेटा के प्रधान श्री राजकुमार द्वारा पंचायत लेटरहेड पर लिखित रूप में दिया गया कथन (स्टेटमेंट)।	11

Objection Letter in the National Green Tribunal (NGT)

Case Number: 1074/24
Applicant: Durgesh Katoch

Honorable National Green Tribunal

मैं, दुर्गेश कटोच, इस पत्र के माध्यम से संयुक्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। प्रस्तुत रिपोर्ट में महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की गई है, पारदर्शिता का अभाव है, और जांच प्रक्रिया से मुझे अलग रखने का प्रयास किया गया है। यह संपूर्ण प्रक्रिया संदेहास्पद प्रतीत होती है और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को दर्शाती है।

1. न्यायालय के आदेश की अवहेलना

NGT ने 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन समिति ने इसे निर्धारित समय-सीमा के बाद प्रस्तुत किया, जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।

2. मेरी उपस्थिति और सुनवाई को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया

रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 3 पर लिखा गया है कि "दुर्गेश कटोच जांच समिति का हिस्सा नहीं थे और NGT द्वारा उन्हें जांच में शामिल करने का आदेश नहीं दिया गया था।" 3-10-2024 की वास्तविकता यह है कि मुझे सुबह 11:29 बजे फोन करके बुलाया गया, जबकि पंचायत प्रतिनिधि, ठेकेदार और अन्य लोग पहले से मौजूद थे, जिन्होंने पूर्व में जांच में झूठे बयान दिए थे। यह स्पष्ट करता है कि समिति ने पूर्व नियोजित तरीके से जांच को प्रभावित करने की योजना बनाई थी।

3. जांच सूचना पहले से न देने की गैर-जिम्मेदारी

जब मैंने DFO नूरपुर, अमित शर्मा से पूछा कि मुझे जांच की सूचना पहले क्यों नहीं दी गई, तो उन्होंने SDM इंदौरा को जिम्मेदार ठहराया। जब SDM से पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, लेकिन सूचना न देने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। MOEF&CC (Ministry of Environment, Forest and Climate Change), चंडीगढ़ से आए अधिकारी भी इस संबंध में कोई जवाब नहीं दे सके।

4. जॉइंट कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 'Death Register' का विरोधाभास

दिनांक 03-10-2024 को मैंने टीम को मौके पर कटा हुआ हरा खैर का पेड़ दिखाया। रिपोर्ट के पृष्ठ 10, सीरियल नंबर 1 में इस पेड़ को "Death Register" में दर्ज बताया गया है, जबकि यह हरा था और इसमें नई टहनियाँ उग आई थीं। NGT में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस पेड़ का 'Death Register' में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि पुष्ट नं 87. में मकड़ोली पंचायत प्रधान के पत्र में इसे अंतिम संस्कार हेतु काटा गया बताया गया है। वास्तविकता यह है कि जिस जगह सोमा देवी जी का अंतिम संस्कार हुआ था, वह स्थान कटे हुए खैर के पेड़ से 2-2.5 किमी दूर स्थित है।

5. अवैध कटान पर FIR को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास

रिपोर्ट के पृष्ठ 10, सीरियल नंबर 2 और 3 में दो कटे हुए पेड़ों का उल्लेख है, जिनके संबंध में जाँच के समय DFO नूरपुर अमित शर्मा ने कहा था कि FIR दर्ज करवाई गई है। परंतु, जब मैंने बताया कि RTI के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने पर पता चला है कि कोई भी FIR दर्ज नही हुई है, फिर DFO द्वारा बोला गया कि साधारण रिपोर्ट दर्ज करबाई गयी है। उनको फिर मैंने बताया की इससे पहले की जांच में chairman committee sh. Ashish kumar RFO jawali जिनके पास उस समय additional charge Indora का था की रिपोर्ट में बताया गया है कि FIR Lodge 160 date 21-04-2024 बताया गया है। इस पर DFO चुप हो गए थे।

अब, जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि "GD No. 040, दिनांक 27/04/2024 को पुलिस को सूचित किया गया", जबकि मेरे द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में पेज नं 43 में इसको FIR No. 160, दिनांक 21/04/2024 का बताया गया था। जिसका जिक्र मेरे द्वारा दायर याचिका के पृष्ठ संख्या 43 में किया गया है।

गुमराह करने का प्रयास – मेरे द्वारा दायर याचिका के पृष्ठ संख्या 41 में इससे पहले की जांच में ACF Nurpur द्वारा DFO नूरपुर को जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। उसमें FIR No. 160, दिनांक 21-04-2024 दर्ज होने की पुष्टि की गई थी। लेकिन जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट में अब इसे "GD No. 040, दिनांक 27/04/2024 को पुलिस को सूचित किया गया" बताया जा रहा है। अगर FIR दर्ज नहीं की गई थी, तो कैसे पहले अधिकारी ने गलत सूचना दी। रिपोर्ट में गलत सूचना देने बाले धिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

6. जाँच समिति की रिपोर्ट में भ्रामक निष्कर्ष

रिपोर्ट के पृष्ठ 12 में "Nothing Found" लिखा गया है, जबकि मैंने समिति के साथ आये अधिकारियों को जड़ से उखाडा गया पेड़ दिखाया था। अब रिपोर्ट में इसके बारे बिना लोकेशन की तस्वीर संलग्न की गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है। SDM, DFO और MOEF&CC के अधिकारी जड़ से उखाड़े गए पेड़ की जगह तक गए ही नहीं ओर, केवल Range Officer Indora, BO वन विभाग के गार्ड और पटवारी हेल्पर ही पेड़ तक गए थे।

7. 3-10-2024 को इसके बाद SDM इन्दौरा बापिस् चले गये ओर आगे की जांच के लिये DFO Nurpur, MOEF&CC Chandigarh से आये अधिकारी व अन्य अधिकारी साथ गये पर जिस जगह पर मेरे द्वारा खैर के पेड़ काटे व जड़ से उखाड़े गये दिखाये गये वहां तक DFO Nurpur Amit Sharma, MOEF&CC Chandigarh से आये अधिकारी उस जगह तक नही गये।

8. इसके बाद DFO ने सभी को पंचायत घर वापस बुला लिया, लेकिन आगे की जांच के बारे में कोई जानकारी दिए बिना ही वहां से सभी अधिकारी चले गए।

9. अगले दिन, जब जांच के संबंध में किसी का कोई फोन नहीं आया, तो मैंने जिलाधीश महोदय, कांगड़ा को रजिस्टर्ड पोस्ट (आर्टिकल नंबर EE718721118IN) के माध्यम से एक पत्र भेजा। इस पत्र की प्रतियां निम्नलिखित अधिकारियों को भी रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित की गईं:

* माननीय प्रिंसिपल बेंच, NGT, दिल्ली – आर्टिकल नंबर EE718720996IN

* RO, Ministry of environment, forest and climate change Chandigarh – आर्टिकल नंबर EE718721237IN

* उपमंडल अधिकारी (SDM), इंदौरा – आर्टिकल नंबर EE718721002IN

पत्र साथ मे annexure A1 करके साथ सलघ्न कर रहा हु।

10. 8 अक्टूबर 2024 तक कहीं से भी कोई जवाब न मिलने पर, मैंने स्वयं SDM इंदौरा को फोन कर आगे की जांच के बारे में जानकारी ली। इस पर उन्होंने बताया कि जांच कमेटी ने जांच को पूरा मान लिया है। मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद SDM ने मुझे ऑफिस आकर बात करने के लिए कहा। अगले ही दिन, मैं SDM ऑफिस गया और उन्हें बताया कि जांच अधूरी है। साथ ही, मैंने कुछ अतिरिक्त वीडियो साक्ष्य भी उन्हें दिखाए अब यहां पर भी समझ आता है कि SDM इन्दौरा स्वयं भी जांच को ईमानदारी से पूर्ण करने के इच्छुक नहीं थे। जो जांच अभी तक अधूरी थी, उसे पूरा काउंट कर लिया गया है बताया जा रहा था।

11. इसके बाद, 22 अक्टूबर 2024 को संयुक्त समिति (जॉइंट कमेटी) अन्य अधिकारियों के साथ जांच के लिए आई। जांच के दौरान, यदि मैं खैर के काटे गए या जड़ से उखाड़े गए पेड़ दिखाने में सफल हो जाता, तो उन्हें गणना (काउंटिंग) में शामिल किया जाता। लेकिन जो टीम जांच के लिए आई थी, वह पेड़ों को खोजने में कोई सहायता नहीं कर रही थी।

12. 2024 में 'Salvage Marking' के तहत काटे गए खैर के 70 पेड़ों की जांच मेरे सामने नहीं की गई। मेरी याचिका (पृष्ठ 5) में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि विभाग ने 2024 में 'Salvage Marking' के तहत 70 पेड़ काटे थे। मेरे लिए यह जानना आवश्यक था कि ये पेड़ कहां से काटे गए थे, लेकिन मेरे समक्ष इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई।

13. झूठे बयान पर हस्ताक्षर कराने का प्रयास

मुझे SDM इन्दौरा द्वारा उनके साथ उन्ही के कार्यलय से आये एक अधिकारी सोमराज जी द्वारा लिखित बयान पर हस्ताक्षर करने के लिये बोला गया। मैंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और अपना स्वयं का बयान टाइप करवा कर प्रस्तुत किया, लेकिन SDM इन्दौरा और DFO नूरपुर ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

** मेरे द्वारा टाइप किये गए बयानों की प्रतिलिपि annexure A2 सलघ्न कर रहा हु।

** SDM indora के साथ उनके कार्यलय से आये अधिकारी सोमराज जी के हाथों से लिखा गया व्यान annexure A3 को साथ मे सलघ्न कर रहा हु।

14. संयुक्त समिति (जॉइंट कमेटी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में गंभीर विसंगतियां

रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 133 -146 तक दिखाए गए अधिकांश रंगीन फोटोग्राफ बिना लोकेशन (स्थान विवरण) के हैं। "Stump Wise Detail of Site Inspection" (पृष्ठ संख्या 10-47) में दी गई GPS लोकेशन और जिन रंगीन तस्वीरों पर लोकेशन दिखाई गई है, वे आपस में मेल नहीं खा रही हैं।यह स्पष्ट करता है कि रिपोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य संदिग्ध हैं और जांच प्रक्रिया में गंभीर नियमितता हो सकती है।

15. रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 118 से 132 में "100% Checking Report of Dhiala Bheri Forest" प्रस्तुत की गई है। हालांकि, इस जांच रिपोर्ट में खैर के पेड़ों का कोई भी उल्लेखनीय फोटो शामिल नहीं किया गया है। यह जांच की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि बिना फोटो प्रमाण के जांच रिपोर्ट अधूरी मानी जाती है।

16. पृष्ठ संख्या 76 के मृत्यु रजिस्टर (Death Register) में क्रम संख्या 93 पर प्रेम नाथ (पुत्र सूरत नाथ), निवासी धियाला के अंतिम संस्कार के लिए अन्य पेड़ों के साथ खैर के पेड़ों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रेम नाथ का अंतिम संस्कार 'समाधि विधि' के अनुसार किया गया था, न कि दाह संस्कार के रूप में। इसके अतिरिक्त, इस प्रविष्टि पर मकरोली पंचायत के प्रधान अवधेश शर्मा जी की मुहर (स्टांप) भी लगाई गई है। इस प्रविष्टि पर मकरोली पंचायत के प्रधान अवदेश शर्मा जी की स्टांप लगी हुई है, जो यह दर्शाता है कि पंचायत प्रतिनिधियों की संलिप्तता से इस गलत रिपोर्ट को तैयार कर पेश किया गया है। इसके अलावा, वन विभाग के अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत भी उजागर होती है, जो एक गंभीर प्रशासनिक अनियमितता को दर्शाता है।

इस तरह की फर्जी प्रविष्टियां सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं और वन संसाधनों की अवैध लूट को बढ़ावा देती हैं। मृत्यु रजिस्टर में अंतिम संस्कार के लिए अन्य पेड़ों के साथ खैर के पेड़ों का उल्लेख किया गया है, जो भ्रामक और तथ्यहीन है। गलत जानकारी दर्ज कर खैर के पेड़ों की अवैध कटाई को वैध ठहराने की कोशिश की गई है। यह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ एवं प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, जिससे सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। इस गलत प्रविष्टि के लिए तुरंत गलत death रिपोर्ट देने बाले दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

17. पृष्ठ संख्या 77 के क्रम संख्या 102 और 104 में नरदेव सिंह का उल्लेख किया गया है, जो कि एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन दोनों प्रविष्टियों में उनकी मृत्यु तिथि 28-08-2023 दर्ज की गई है, फिर भी अंतिम संस्कार के लिए अलग-अलग प्रकार के पेड़ों के उपयोग का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन दोनों प्रविष्टियों पर मकरोली पंचायत के प्रधान अवधेश शर्मा जी की स्टांप लगी हुई है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत से अवैध रूप से काटे गए खैर के पेड़ों को वैध दिखाने का प्रयास किया गया है।इसके अतिरिक्त, मेरी स्वयं की दादी माँ के

मृत्यु उपरांत उनके अंतिम संस्कार के लिए भी खैर के पेड़ का उल्लेख किया गया है, जो कि पूर्णतः असत्य है।

इसके अलावा, अन्य व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए भी खैर के पेड़ों का झूठा उल्लेख किया गया है, और इन सभी प्रविष्टियों पर पंचायत प्रधानों की स्टांप भी लगी हुई है। खैर का पेड़ (Acacia catechu) संवेदनशील (Vulnerable) श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि यह पेड़ तेजी से घट रही प्रजातियों में शामिल है। कई राज्यों, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, में खैर की कटाई के लिए सख्त नियम लागू हैं, क्योंकि यह अत्यधिक दोहन की जाने वाली प्रजातियों में से एक है। यह एक गंभीर अनियमितता है क्योंकि मलकियत भूमि से भी बिना अनुमति के खैर का पेड़ नहीं काटा जा सकता, तो फिर जंगल से ये खैर के पेड़ बिना वैध अनुमति के कैसे काटे गए? यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से काटे गए खैर के पेड़ों को वैध दिखाने का प्रयास किया गया है।

18. पुष्ट संख्या नं 85 पर पँचायत घेटा के प्रधान की पंचायत रिपोर्ट दर्शायी गयी है। जिसमे उन्होंने लिखा है कि अवैध खैर कटान वारे जो शिकायत दुर्गेश कटोच ने की है हमारी विट ध्याला मौजा भेड़ी में कोई भी नजायज कटान नही हुआ है । इसलिए शिकयत को निरस्त किया जाए। हलाकि बाद में उन्होंने बताया था की उनसे Dy. Ranger B.O Gangath Forest Range Indora, Gourav Sharma Beat In-charge ने उनको गलत जानकारी देकर मौखिक जानकारी देकर की कही कोई अवैध कटान नही हुआ है बताकर चालाकी से व्यान दर्ज करबा लिए गये थे। बाद में फिर से उन्होंने मुझे पँचायत लेटर हेड पर लिखकर दिया। जिसको मैं Annexure A4 सलघ्न कर रहा हु ।

निष्कर्ष एवं निवेदन

संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भ्रामक, अपूर्ण और पक्षपातपूर्ण है। इसमें अवैध कटान के ठोस साक्ष्यों को दबाने का प्रयास किया गया है।

अतः मैं माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता हूँ कि:

1. संयुक्त समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाए और निष्पक्ष जांच के लिए नई समिति गठित की जाए ओर CBI को भी इसमें शामिल किया जाये।
2. मेरी उपस्थिति में पुनः स्वतंत्र जांच कराई जाए और मेरा आधिकारिक बयान दर्ज किया जाए।
3. जांच समिति के सदस्यों पर तथ्यों को छिपाने और गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
4. पँचायत प्रतिनिधि व विभाग के अधिकारी जिन्होंने अवैध कटान को वैध ठहराने लिये death register पर मोहर लगाई उन पर भी तुरन्त कार्यवाही की जाये।

आपकी न्यायप्रियता और निष्पक्षता में पूर्ण विश्वास रखते हुए, मैं इस याचना को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सादर,

Durgesh Katoch

दुर्गेश कटोच

Date – 24-03-2025

Annexture A 1

सेवा में,

जिलाधीश महोदय,

कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

विषय: ध्याला - भेड़ी विट में कटे हुए खैर के पेड़ों की निष्पक्ष जांच हेतु निवेदन

महोदय,

मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि NGT कोर्ट, प्रिंसिपल बेंच, दिल्ली के आदेश पर ध्याला विट में कटे हुए खैर के पेड़ों की जांच के लिए (1) DFO Nurpur Division , (2) RO, MOEF&CC चंडीगढ़, District Megistrate Kangra एक coordinating agency के लिए एक कमेटी का गठन करने को कहा गया था। जिसके आधार पर 3 अक्टूबर 2024 को
RO MOEF&CC के अधिकारी, SDM इंदौरा, DFO नूरपुर, RO भदरोआ, BO, गार्ड ध्याला बीट, तहसीलदार इंदौरा, वन विभाग के कानूनगो, पटवारी पटबार सर्कल ध्याला और अन्य अधिकारी जांच के लिये आये थे।

मुझे इस जांच के संबंध में किसी भी प्रकार का आधिकारिक सूचना पत्र नहीं दिया गया था। हालांकि, 3 अक्टूबर को सुबह 11:29 बजे RO भदरोआ, श्री अभिनव द्वारा मुझे फोन करके पंचायत घर मकड़ोली में बुलाया गया। जब मैं वहां पहुँचा, तो मैंने देखा कि आस-पास की पंचायतों के ठेकेदार, प्रधान, और इससे पहले हुई जांच में झूठी गवाही देने वाले लोग पहले से ही वहां उपस्थित थे।

जब मैंने SDM इंदौरा और DFO नूरपुर से इस बारे में सवाल किया कि मुझे जांच के बारे में पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई और ठेकेदारों और पंचायत प्रधानों को पहले से कैसे पता चल गया, तो उनके पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। इसके बावजूद, मैंने जांच में सहयोग किया और विभागीय अधिकारियों को वह स्थान दिखाया, जहाँ पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया था।

शुरुआत में 5 खैर के पेड़ दिखाने के दौरान, चंडीगढ़ से आए अधिकारी, SDM इंदौरा और DFO नूरपुर साथ थे। परंतु उसके बाद, जब मैंने अन्य कटे हुए पेड़ दिखाए, तो केवल RO भदरोआ, BO और गार्ड ध्याला बीट उपस्थित थे। शेष अधिकारी, जो नीचे खड्ड में खड़े थे, गाड़ियों में बैठकर जांच से दूर रहे।

यदि मुझे केवल स्थानीय विभाग के अधिकारियों को ही पेड़ दिखाने होते, तो मैं NGT दिल्ली में केस दायर नहीं करता और ना ही NGT की प्रिंसिपल बेंच से जांच के लिए निर्देश इनको मिलते। मेरे द्वारा दिखाए गए कुछ पेड़ों के बाद, हमें वापस पंचायत घर बुला लिया गया, और उसके बाद बिना किसी स्पष्ट जानकारी दिए सभी अधिकारी वापस चले गए।

महोदय, अब आगे जांच होगी या नही ओर अगर होगी तो कब होगी और उस जांच का प्रारूप क्या होगा । अगर 3 अक्टूबर 2024 को जिस तरह की जांच हुई है क्या आगे भी ऐसे ही जांच होगी तक इस प्रकार की जांच प्रक्रिया से निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करवाई जाए, ताकि असलियत सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

आपसे अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे ध्याला - भेड़ी विट की निष्पक्ष जांच करबाई जाये।

धन्यवाद सहित,

नाम:- दुर्गेश कटोच

गांव:- महतोली डाकघर ध्याला तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

फ़ोन नं:- 8580771502

प्रतिलिपि:

1. माननीय प्रिंसिपल बेंच, NGT दिल्ली
2. RO, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, चंडीगढ़
3. उपमंडल अधिकारी (SDM), इंदौरा

Durgesh Katoch Date - 4-10-24

(6)

EE718721118IN IVR:6969718721118
SP REHAN SO <176022>
Counter No:1,04/10/2024,12:01
To:DEPUTY COMM ,KANGRA AT D.SHA
PIN:176215, Dharamsala HO
From:DURGESH KAT,VIL MAHTOLI PO D
Wt:10gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

EE718720996IN IVR:6969718720996
SP REHAN SO <176022>
Counter No:1,04/10/2024,11:48
To:NATIONAL GREE,BENCH NEW DELHI
PIN:110001, New Delhi GPO
From:DURGESH KAT,VILL MAHTOLI PO

Amt:82...
<Track on www.indiapost...

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EE718721002IN IVR:6969718721002
SP REHAN SO <176022>
Counter No:1,04/10/2024,11:48
To:SDM INDORA ,VPO INDORA
PIN:176402, Kandrori SO
From:DURGESH KAT,VILL MAHTOLI PO
Wt:5gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

To: Hub
De PO:Dharam
EE718721002IN
Counter No:1,0
Amt:41.30,Wt:5g
From:REHAN SO <1
From:Ambala NSH
To:Ambala NSH Hu

EE718721237IN IVR:6969718721237
SP REHAN SO <176022>
Counter No:1,04/10/2024,11:48
To:REGIONAL OFFI,FOREST CLIMATE C
PIN:160030, Sector 30 Chandigarh SO
From:DURGESH KAT,VILL MAHTOLI PO
Wt:5gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

मैं दुर्गेश कटोच, ग्राम महतोली, डाकघर ध्याला, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, का स्थायी निवासी हूँ। NGT Case No. 1074/2024 दुर्गेश कटोच vs हिमाचल प्रदेश सरकार में दिए गए निर्देश अनुसार जांच की गई है।

इसमें 3 अक्टूबर 2014 को सुबह 11:29am बजे मुझे आरओ भद्रोआ, अभिनव ठाकुर द्वारा फोन पर पंचायत घर के पास पँचायत घर मे बुलाया गया। जब मैं वहां पहुँचा, तो मैंने देखा कि ठेकेदार, पंचायत प्रधान और कुछ अन्य लोग, जिन्होंने पहले ACF नूरपुर की जांच में बयान दिए थे, वहां पहले से मौजूद थे। इससे स्पष्ट हो गया कि उन्हें आज की जांच के बारे में उन सबको पहले से ही जानकारी थी, जबकि मुझे उसी वक्त फोन करके बुलाया गया।

मैंने वहाँ पहुँचने के बाद D.F.O नूरपुर जी , से पूछा कि मुझे जांच के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया गया, जबकि बाकी सभी लोगों को पता था। इस पर उन्होंने कहा कि एसडीएम इन्दौरा को मुझे सूचना देनी थी। जब मैंने एसडीएम जी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और मुझे चंडीगढ़ से आए पर्यावरण मंत्रालय के तकनीकी अधिकारी गोयल जी से मिलवाया गया। इसके बाद मुझे जांच में सहयोग करने को कहा गया।

मैंने उन्हें एक खैर का पेड़ दिखाया, जिसके बारे में मकड़ोली पंचायत के प्रधान ने अपने पत्र पर लिखा था कि इसे सोमा देवी के अंतिम संस्कार के लिए उपयोग किया गया था। हालाँकि, पेड़ का आगे का हिस्सा अब भी वही मौजूद था, जिसे मैंने जांच टीम को दिखाया। एसीएफ नूरपुर की रिपोर्ट में इस पेड़ को पुराने पेड़ों की सूची में डाला गया है, ओर इस पेड़ को वन कानूनगो द्वारा भी श्मशान के पास बताया गया है। हलाकि जिस जगह सोमा देवी जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया है बो 2 से 2.5km दूर है। ओर ये जो पेड़ काटा गया था बो हरा था और इस साल ही काटा गया था। इसके बाद मैंने दो और हरे खैर के पेड़ दिखाए, जो इसी साल में काटे गए थे। डीएफओ नूरपुर ने बताया कि इन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन जब मैंने एफआईआर के बारे में पूछा कि fir कहा दर्ज करबाई गयी है तो उन्होंने बताया कि यह इन्दौरा थाने में दर्ज है। पर मेरे द्वारा आरटीआई के तहत इन्दौरा थाने से जानकारी लेने पर पता चला है कि वहां कोई अभियोग वन विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं है। जिसकी प्रतिलिपि भी अपने बयान के साथ संलग्न कर रहा हु।

इसके बाद, मैंने मकड़ोली गाँव के पास दो हरे खैर के पेड़ दिखाए जिस जगह पर ये पेड़ काटे गए थे उस मे कुछ महीने पहले आग भी लगाई गई थी। इसके बाद अगले स्पॉट में एक जड़ से उखाड़ा हुआ पेड़ दिखाया। जब ये उखाड़ा गया पेड़ दिखाया गया तो उस समय आरओ भद्रोआ, बीओ और गार्ड मेरे साथ थे, लेकिन बाकी अधिकारी घास अधिक होने के कारण वहाँ तक नहीं आए और पीछे खेत में ही रुके रहे। फिर एसडीएम इन्दौरा वापस चले गए। आगे की जांच में, मैं बाकी अधिकारियों को दूसरी जगह ले गया, जहाँ फिर से केवल आरओ, बीओ, और गार्ड मेरे साथ गए, जबकि अन्य अधिकारी, जिनमें डीएफओ नूरपुर और चंडीगढ़ से आए अधिकारी शामिल थे, गाड़ी में ही बैठे रहे। ओर स्पॉट तक पेड़ देखने तक नही आये।

इसके बाद जब मैं उन्हें अगली जगह ले जाने वाला था, तो डीएफओ नूरपुर अमित शर्मा ने सभी को वापस पटवार सर्कल ध्याला जाने के लिए कहा। मैंने सोचा कि आज की जांच यहीं खत्म हो गई है और आगे की जांच कल होगी, लेकिन वापस पहुँचते ही सभी अधिकारी बिना किसी सूचना के चले गए। इसके बाद, मैंने 4 अक्टूबर 2024 को जिलाधीश कांगड़ा को एक पत्र भेजा, जिसकी प्रतिलिपि एसडीएम इन्दौरा, एनजीटी प्रधान पीठ दिल्ली, और पर्यावरण मंत्रालय चंडीगढ़ को भी भेजी। जब कुछ दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 8 अक्टूबर 2024 को मैंने एसडीएम इन्दौरा से फोन पर जांच की जानकारी मांगी। उन्होंने बताया कि जांच पूरी हो चुकी है, जो मेरे लिए आश्चर्यजनक था। जिस पर मैंने पूछा कि जाँच कब और कैसे पूरी हुई तो इस पर मुझे sdm कार्यलय में बुला कर बात करें को कहा जिस पर मैगले ही दिन वहां पर गया और उनको बताया कि अभी और भी जगह है यहां पर पेड़ दिखाए जाने बाकी है।

जिस पर फिर 22 अक्टूबर 2024 को दुबारा जांच हुई, जिसमें मैंने 28 पेड़ दिखाए। 23-10-24 को छुट्टी की गई।

इसके बाद 24 अक्टूबर 2024 को एक और जांच हुई, जिसमें मैंने 4 और पेड़ दिखाए। इसके बाद जब मैंने टीम को एक अन्य स्थान पर ले जाने की कोशिश की, तो मुझे बताया गया कि वह क्षेत्र ध्याला विट में नहीं आता है, इसलिए वहाँ जांच नहीं हो सकती। उस क्षेत्र में 15 से 20 खैर के पेड़ काटे गए थे, जिन्हें मैंने दिखाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जांच नहीं की गई।

जिस पर हम वहां से वापस लौटते हैं और मैं टीम को अगले स्थान पर लेकर जाता हूँ, जहां मार्च महीने में खैर की लकड़ी का एक डंप लगा हुआ था। वहां एक ठेकेदार को बुलाया गया, जिसने यह स्वीकार किया कि वह डंप उसके द्वारा वहां रखा गया था। यह स्थान खड़ के पास था, जिसकी लोकेशन ऊंचाई (altitude) और अक्षांश (latitude) दी गई थी।

इसके बाद अगले स्थान पर जाकर मैंने 4 खैर के कटे हुए पेड़ दिखाए। फिर उससे अगले स्थान पर जाकर 9 पेड़ दिखाए गए, जिनमें कुछ जड़ से उखाड़े गए पेड़ भी शामिल थे। इसके बाद मैं टीम को अगली जगह पर ले गया, जहां कुल 4 पेड़ कटे हुए थे, जिनमें से 3 हरे पेड़ थे। हालांकि, मैं उन 3 हरे पेड़ों को ढूंढ नहीं पाया, इसलिए हम वापस आ गए। कुल 18 पेड़ दिखाये गये।

25-10-2024 Date - Cutting attested - Durgesh Katoch

इसके बाद 5-10-2024 को फिर से पहली स्पॉट पर 14 पेड़ खैर के दिखाये गये जिसमे हरे ब सूखे पेड़ शामिल थे।

2. स्पॉट पर एक डैम्प चेक किया गया जिसमें खैर के पेड़ उखाड़े गये व काटे गए रखे थे।

3. स्पॉट पर 1 हरा पेड़ दिखाया जिसको आरा के साथ काटने की कोशिश की गई थी पर अभी आधा ही कटा था और पेड़ अभी तक खड़ा है।

4. एक ओर हरा पेड़ जो कि कट चुका है को दिखाया गया और इस पेड़ को काटते वक्त की वीडियो मेरे पास है जिसे कृष्ण सिंह ठेकदार व उसकी लेबर पेड़ को काटती हुई नजर आ रही है।

5. स्पॉट पर 14 सूखे पेड़ दिखाए गए।

6. स्पॉट पर 3 पेड़ मिले

25-10-2024 को कुल 33 पेड़ दिखाये गये है। total-33 tree Cutting attested Durgesh Katoch

अब तक हुई जांच में कई अन्य अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस जांच में निराश करने बाली बात यह रही कि अगर मैं किसी पेड़ को दिखाने में सफल हो जाता था, तो केवल उसी पेड़ को काउंट किया जाता था। बाकी टीम, जैसे गार्ड को जांच करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बो पेड़ ढूंढने में कोई ज्यादा मदद नहीं करते थे। जिन जगहों पर मैंने अभी तक पेड़ दिखाए वहां पर , ओर भी पेड़ है , जिन्हें मैं ढूंढ नहीं पाया और इस वजह से उन्हें काउंटिंग में शामिल नहीं किया जा सका है।

अगर पेड़ ढूँढने का सारा काम मुझे ही करना था, तो इतने सारे गार्डों को बुलाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आया।

अभी तक पूरी विट का निरीक्षण पूर्ण रूप से नही किया गया है।

यह मेरे बयान हैं, जिन्हें मैंने सत्यापित किया है।

Durgesh Katoch
25-10-2024

दिनांक
25/10/2024

बयान श्री दुर्गेश कोरंग पु० श्री स्वर्ण सिंह निवासी गाँव महलोली डा० धियाला तहसील नगरोटा जिला कांगड़ा हि०प्र० आयु = 33 वर्ष। फोन नं० 85807-71502

सशपथ बयान किया कि मैं उपरोक्त पता का रहने वाला हूँ।
यह कि माननीय NGT द्वारा Application No 1074/2024 शीर्षक
दुर्गेश कोरंग बनाम सरकार हि०प्र० व अन्य मामले में दिनांक
21/08/2024 को पारित आदेशों की अनुपालना में गठित कमेटी
द्वारा Site Inspection दिनांक 03/10/2024, 21/10/2024, 24/10/2024
व 25/10/2024 को किया गया। मेरे द्वारा कमेटी को
धेड़ी/धियाला बीट (इन्दौरा रेंज) में किये गये खैरों के कटान
वाले समस्त स्थानों जहाँ-जहाँ पेड़ कटे थे का निरीक्षण कमेटी
से मेरे द्वारा स्वयं दिखाया गया। कमेटी ने स्वयं मौका
पर कटे हुये प्रत्येक खैर के पेड़ का निरीक्षण को किया
गया है। कमेटी द्वारा सम्पूर्ण छानबीन अथवा मौका निरीक्षण
में मुझे Associate किया गया। मौका निरीक्षण / Site
Inspection खत्म / शुरू करने से पूर्व कमेटी द्वारा मेरे बयान
कलमबद्ध किये गये।

Annexure A4

कार्यालय ग्राम पंचायत, घेटा

विकास खण्ड इन्दौरा तहसील इन्दौरा जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

प्रस्ताव संख्या............. दिनांक 24/10/2024

मैं प्रधान राज कुमार ग्राम पंचायत घेटा यह ब्यान देता हूं कि
वन विभाग के अधिकारी Dy. Ranger, B.O. Gangath. Forest Range
Indora और ध्याला बीट मौंजा भेड़ी के इन्चार्ज ~~आर~~ श्री गौरव शर्मा ~~द~~
द्वारा दिनांक 26/04/2024 को मुझसे पंचायत Letter Head चालाकी से
झूठी जानकारी देकर मुझसे ब्यान दर्ज करवाए गए थे।
उक्त ब्यान मे कहा गया कि मौंजा भेडी में ~~का~~ खैर के पेड़ों का कोई
नाजायज कटान नहीं होता है। उस समय अधिकारियों द्वारा ~~बताए~~
गए मौखिक रूप से बताए गए के आधार पर मैंने यह ब्यान दिया था
हालांकि बाद मे तथ्यों का पता चलने पर यह स्पष्ट हुआ है। कि
मौंजा भेडी में खैर के पेड़ों का ~~चालान~~ नाजायज कटान हुआ है।
मुझे उस समय वन विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध नही करवाई गई थी
और वन विभाग के अधिकारियों ने मुझे गलत दिशा में गुमराह करते हुए
ब्यान दर्ज करवा लिए।
इस ब्यान के माध्यम से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में दिया
गया ब्यान सही तथ्यों पर आधारित नही था वास्तविकता यह है कि
मौंजा भेडी में खैर के पेड़ों का अवैध कटान हुआ है। जिसे रोकने
के लिए कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।
मेरा यह ब्यान सत्य और वास्तविकता पर आधारित है

प्रधान ग्राम पंचायत घेटा, विकास खण्ड इन्दौरा (हि.प्र.)

हस्ताक्षर Rajkumar
दिनांक 24/10/2024